राजस्थान—सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला—शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/307/2024 दिनांक :— 13.05.2024

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :— प्र.सं. 307/24 अनवान विनोद कुमार उपाध्याय पुत्र कान्ती चन्द उपाध्याय निवासी—देवली, तहसील—देवली, जिला—टोंक बनाम मनोज कुमार पुत्र हुकुमचन्द जैन निवासी—देवली, तहसील—देवली, जिला—टोंक, घीसी देवी पत्नि हुकुचन्द जैन निवासी—देवली, तहसील—देवली, जिला—टोंक, शान्ति देवी पत्नि अशोक कुमार निवासी—देवली, तहसील—देवली, जिला—टोंक, चैतन्य कंवर पत्नि भरत सिह राजपूत निवासी—कुचलवाड़ा कलां, तहसील—जहाजपुर, जिला—शाहपुरा, महताब खां पुत्र रमजान खां जाति मुसलमान निवासी—देवली, जिला—टोक, भंवर लाल पिता रामपाल ब्राह्मण निवासी—हनुमान नगर, तहसील—जहाजपुर, जिला—शाहपुरा, भंवर लाल पिता नाथूलाल गुर्जर निवासी—हनुमान नगर तहसील—जहाजपुर, जिला—शाहपुरा, आशाकंवर पत्नि नाथू लक्ष्मण सिंह निवासी—हनुमान नगर तहसील—जहाजपुर, जिला—शाहपुरा, की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत्।

— — — — — —

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम हनुमान नगर, प.ह. ऊँचा, तहसील—जहाजपुर में स्थित आ.सं. 722/2 रकबा 0.4371 व आ.सं. 722/1रकबा 0.4452 हैक्टयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000/—रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगरगढ़ी का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम–जहाजपुर (शाहपुरा)

विनोद कुमार उपाध्याय पुत्र कान्ती चन्द उपाध्यांय निवासी–देवली, तहसील–देवली, जिला–टोंक

बनाम

मनोज कुमार पुत्र हुकुमचन्द जैन निवासी–देवली, तहसील–देवली, जिला–टोंक, वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 आर. एल.आर.ए. मुकदमा नं. 809 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13.5.24	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की आ.सं. 722/2 रकबा 0.4371 व आ.सं. 722/1रकबा 0.4452 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111, 128 रा.ले. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि आ.सं. 722/2 रकबा 0.4371 व आ.सं. 722/1रकबा 0.4452 हैक्टयर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/–रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200/–रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक . . 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

उखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)